संख्या- 381/2025/226के-2/22-3-2025-17(385)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025) दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल, ग्राम-नगला टटी कुरामई, थाना-मिरहची, जनपद-एटा का निवासी है। (1) बंदी द्वारा दिनांक 10.10.1998 को जमीनी रंजिश में अपने भाई शंकर व अन्य 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई बाबूराम की तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364/149, 148 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-01, एटा के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बंदी द्वारा दिनांक 20.01.2002 को अपने भाई शंकर के साथ मिलकर पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अपने चाचा प्रताप की तमंचे से गोली मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-460/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-02, एटा के आदेश दिनांक-23-07-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त (1) सत्र परीक्षण संख्या-04/99, धारा-25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड रू0-1000/-से दण्डित किया गया है। तथा (2)-जी0एस0टी0 नं0-560/2002 धारा-2/3 यू0पी0जी0 एक्ट में 05 वर्ष की कारावास, अर्थदण्ड रू0-5000/- से दण्डित किया गया। दिनांक-11-01-2025 तक बन्दी की आयु 51 वर्ष, 01 माह, 14 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी की रिहाई से समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष सत्य प्रकाश पुत्र चिरंजीलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.1998 को जमीनी रंजिश में अपने भाई शंकर व अन्य 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई बाबूराम तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या तथा दूसरी घटना में दिनांक 20.01.2002 को अपने भाई शंकर के साथ मिलकर अपने चाचा प्रताप की तमंचे से गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सत्य प्रकाश पुत्र चिरंजीलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश (बन्दी संख्या-19472) पुत्र चिरंजीलाल, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या-381/2025/226के-2/22-3-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 381/2025/226के-2/22-3-2025-17(385)/2025

दिनांक 04 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल, ग्राम-नगला टटी कुरामई, थाना-मिरहची, जनपद-एटा का निवासी है। (1) बंदी द्वारा दिनांक 10.10.1998 को जमीनी रंजिश में अपने भाई शंकर व अन्य 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई बाबूराम की तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-06/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364/149, 148 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-01, एटा के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बंदी द्वारा दिनांक 20.01.2002 को अपने भाई शंकर के साथ मिलकर पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से अपने चाचा प्रताप की तमंचे से गोली मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-460/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-02, एटा के आदेश दिनांक-23-07-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त (1) सत्र परीक्षण संख्या-04/99, धारा-25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड रू0-1000/-से दण्डित किया गया है। तथा (2)-जी0एस0टी0 नं0-560/2002 धारा-2/3 यू0पी0जी0 एक्ट में 05 वर्ष की कारावास, अर्थदण्ड रू0-5000/- से दण्डित किया गया। दिनांक-11-01-2025 तक बन्दी की आयु 51 वर्ष, 01 माह, 14 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी की रिहाई से समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष सत्य प्रकाश पुत्र चिरंजीलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.1998 को जमीनी रंजिश में अपने भाई शंकर व अन्य 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई बाबूराम तथा अपने पिता का अपहरण कर हत्या तथा दूसरी घटना में दिनांक 20.01.2002 को अपने भाई शंकर के साथ मिलकर अपने चाचा प्रताप की तमंचे से गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सत्य प्रकाश पुत्र चिरंजीलाल को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in